न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 209/दो/2012 विरूद्व आदेश दिनांक 20.11.2012 –पारित–अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 189/2011–12 अपील

1– श्रीमती शॉंति देवी पत्नि स्व. भगवानलाल चौकसे
2– राकेश पुत्र स्व. भगवानलाल चौकसे
3– राजेश चौकसे पुत्र स्व. भगवानलाल चौकसे
4– श्रीमती करूणा चौकसे पुत्री स्व. भगवानलाल चौकसे
निवासीगण कमलागंज ए.वी.रोक शिवपुरी

विरूध्द

——आवेदकगण

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

——अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी
रिस्पाण्डेन्ट के पैनल अभिभाषक श्री डी.के.शुक्ला

आदेश

(आज दिनांक 21– 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 189/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.11.12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि सर्वे नंबर 737,739,742,748,749,750 कुल किता 7 पर मृतक सुरेश कुमार चौकसे के स्थान पर तृतीय अपर जिला जज शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 6 ए 2008 ई0दी0 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.08 एंव प्रदत्त डिक्री के आधार पर संयुक्त परिवार के बीच दि. 21.10.06 को हुये विभाजन के आधार पर नामान्तरण किये जाने की मांग की। तहसीलदार शिवपुरी ने प्र0क0 38 अ–6/10–11 पंजीबद्व किया एंव आदेश दि0 26.9.20.11

से निर्णय लिया कि डिकी दिनांक 30—11—08 में वादी एंव प्रतिवादी के बीच लिखे गये स्मरण लेख के अनुसार संपत्ति के स्वामी एंव आधिपत्यधारी घोषित किये गये है परन्तु अपर जिला सत्र न्याया. के आदेश में लिखे अनुसार उभय पक्ष इस लोक अदालत की डिकी का पंजीयन करायेंगे। आवेदकगण व्दारा तद्नुसार पंजीयन प्रस्तुत न करने के कारण नामान्तरण आवेदन निरस्त करते हुये निर्धारित किया कि पंजीयन पश्चात आवेदन पुनः प्रस्तुत किया जावे।

तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 59/11—12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18—6—12 से अपील अग्राह्य की गई। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के यहाँ अपील होने पर प्रकरण कमांक 189/2011—12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.11.12 अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि तृतीय अपर जिला जज के समक्ष चले प्रकरण कमांक 6 ए /08 ई0दी0 में पारित आदेश एंव डिकी अनुसार पारिवारिक विभाजन के स्मरण लेख के पालन में आवेदकगण ने नामान्तरण आवेदन दिया है। तहसील न्यायालय व्दारा प्रकरण में कोई तारीख पेशी नहीं दी तथा कई वार जानकारी लेने के वाद अंत में कहा गया कि 26—9—11 को आदेश पारित हो गया है तथा आवेदन निरस्त किया गया है। मामला पारिवारिक विभाजन के आधार पर डिकी के अमल का है जिसका पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की, जबकि रिस्पा. के पेनल अभिभाषक ने आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध कर निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्याया0

के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि मान0 तृतीय अपर जिला जज के समक्ष चले प्रकरण कमांक 6 ए/08 ई0दी0 में पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा अनुसार विभाजन का स्मरण लेख प्रस्तुत हुआ है जिसके अनुसार पारिवारिक संपत्ति का सहमति के आधार पर विभाजन हुआ है। सहमति के आधार पर तैयार एंव प्रस्तुत विभाजन के स्मरण लेख को तहसीलदार शिवपुरी ने इस आधार पर अमान्य किया है क्योंकि इस अभिलेख का पंजीकरण नहीं कराया गया है क्योंकि विभाजन का स्मरण लेख नोटरी अभिभाषक के समक्ष सप्त्यापित हुआ है किन्तु यह भी सही है कि यह विलेख माननीय तृतीय अपर जिला जज शिवपुरी के समक्ष प्रकरण कमाक 6 ए/08 ई0दी0 में प्रस्तुत हुआ है जिसे मान्य किया गया है। विचार योग्य बिन्दु मात्र यह है कि क्या विभाजन लेख पंजीकृत होने पर ही राजस्व न्यायालयों में अमल की कार्यवाही की जावेगी ? M.P.L.J. 2010 (1) 580 गुल्जारीलाल जैन विरूद्व रबिकांत शिरके का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है –

> "(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1988 क 16) धारा 17 (1) बी एंव सी – ऐसा दस्तावेज जिससे विभाजन नहीं होता, किन्तु जो केवल पिछले विभाजन के संबंध में दर्शाता है , उसका रजिस्ट्रीकरण जरूरी नहीं है। "
> "(ख) स्टाम्प अधिनियम , अनुसूची IA, खंड 43 (2002) के म0प्र0 अधिनियम 12 व्दारा यथा–सँशोधित – प्रश्नाधीन दस्तावेज, उस संपत्ति के किसी भी मूल्यांकन का उल्लेख किये वगैर पूर्वतर मौखिक विभाजन को स्वीकृत करता है, जो संपत्ति विभाजन के वाद सहदायी के हिस्से में आती है, दस्तावेज स्टाम्प डयूटी के लिये प्रभारीय नहीं है। "

इसी प्रकार AIR 1988 SUPREME COURT, 881 रोशन सिंह एंव अन्य विरूद्व जिले सिंह एंव अन्य का न्यायिक दृष्टांत है कि –

> रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1988 का 16) धारा 17 (1) बी एंव सी – एंव संपत्ति अंतरण अधिनियम (4 एंव 5) Family arrangement and partition - Distinction – Partition of ancestral properties – Subsequent memorandoum of partition embodying factum of

partition – Held, memorandum was only family arrangement and its registration was not necessary. (Evidence Act 1 of 1872 S. 91)

माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत विभाजन का स्मरण लेख बटवारा किये जाने हेतु पंजीकृत होने की बाध्यता नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ तहसीलदार शिवपुरी के न्यायालय में इन्हीं पक्षकारों के बीच पारिवारिक विभाजन का एक अन्य प्रकरण कमांक 77/2009–10 अ–6 चला है,जिसमें पारित आदेश दिनांक 07–06–2010 में पारिवारिक समझौता विलेख के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है आदेश के पद 7 का उद्धरण इस प्रकार है –

" पूर्व की आपसी बटवारा हिस्सा, नाम न होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता। आपसी बटवारा सदभाव पर आधारित होता है।

विद्वमान प्रकरण में पक्षकारों का आपसी बटवारा संबंधी विभाजन का स्मरण लेख दिनांक 13–1–08 मा.प्रथम अपर जिला न्यायाधीश महोदय व्दारा डिकी कूत होकर इस न्यायालय तथा पक्षकारों पर बंधनकारी और पालनीय है। साझेदारी समाप्ती अनुबंध संपत्ति के आपसी सहमति विभाजन की श्रेणी का लेख है। अनावेदक अभिभाषक की डिकी के पंजीकृत नहीं होने के संबंध में आपत्ति पर आवेदक अभिभाषक ने कहा कि डिकी में वर्णित पक्षकारों में से कई व्यक्तियों की मंत्यु हो चुकी है तथा आपसी बटवारा संबंधी न्यायालय की डिकी का पंजीयन माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों न्याय दृष्टांतों के अनुशरण में आवश्यक नही है।"

तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 77/2009–10 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 07–06–2010 के पद 8 के अंतिम पद पृष्ठ–7 के नीचे का उद्धरण इस प्रकार है –

" मान. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश महो. के निर्णय डिकी दिनांक 30–11–08 , विभाजन का स्मरण लेख दिनांक 13–1–08 के अनुसार भूमिस्वामी शांति पत्नि भगवान लाल, राजेश, रोकश पुत्रगण भगवानलाल, करूणा पुत्री भगवानलाल चौकसे के नाम दर्ज भूमि सर्वे

नं0 114 मिन 1 रकबा 0.185 है. पर उपरोक्त शांति इत्यादि के बजाय उनके स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल चौकसे का नामान्तरण स्वीकार करते हुये सुरेश कुमार के मृत हो जाने से उसके बजाय उसके स्थान पर यथा बसीयत दिनांक 9—2—09 अनुसार नितिन कुमार पुत्र सुरेश कुमार चौकसे निवासी शिवपुरी का यथा बसीयत नामान्तरण स्वीकार किया जाता है ।

उपरोक्त से प्रमाणित है कि माननीय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश महो. का निर्णय /डिकी दिनांक 30—11—08 भी वही है वाद विषय भी नामान्तरण का है एंव विभाजन का स्मरण लेख दिनांक 13—1—08 वही है तब तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 77/2009—10 अ—6 में पारित आदेश दिनांक 07—06—2010 के निर्णय से हटकर विचाराधीन प्रकरण कमांक 38/अ—6/10—11 में विपरीत निष्कर्ष निकाल कर आदेश दिनांक 26—9—11 से प्रकरण निरस्त करने में भूल की है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर न करने की त्रृटि की है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश दिनांक 20.11.12 , आदेश दिनांक 18—6—12 एंव आदेश दिनांक 26—9—11 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 189/2011—12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.11.12 , अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 59/11—12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18—6—12 तथा तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्र0क0 38/अ—6/10—11 में पारित आदेश दि0 26—9—11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार शिवपुरी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त की गई विवेचना के कम में तदनुसार नामान्तरण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर